

न्यायालय उप- जिलाधिकारी खोरागढ, आगरा।

मु. नं० - 5/203

अभिषेक कुमार

बनाम

ग्राम समीत तेहरा

अन्तर्सत धारा 143 भू-राजस्व अधिनियम

ग्राम - तेहरा तहसील खोरागढ, जिला
आगरा।

आदेशांक 5-6-03

अभिषेक कुमार पुत्र श्री विजय कुमार निवासी 2/203 नामनेर
आवा व हेसियत निदेशांक - शांति निकेतन कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट
एण्ड कंप्यूटर साइंस, तेहरा जिला आगरा, धारा 143 भू-राजस्व अधि-
नियम के तहत इस आवा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि छाता संख्या
22 के छासरा संख्या - 260 क रकवा 0-6050 हेक्टेयर लगानी 19-70 पौ
पर कांकि न दखाल है। यह है कि उक्त आवाजी गोके दर आवादी
प्रयोजन में लायी जा रही है, कृषि प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है।
जो कि विगत लगभग एक वर्ष से आवादी प्रयोजन में लायी जा रही है।
उक्त आधार पर उपरोक्त भूमि को आवादी घोषित किए जाने की
प्रार्थना की है।

प्रार्थना-पत्र की जा तहसीलदार से करायी गयी। प्राप्त आख्या
दिनांक 22-3-03 में अवगत कराया है कि उल्लिखित भूमि कृषि के प्रयोग
में नहीं आ रही है। यह भूमि आवादी के प्रयोजन में आ रही है। उक्त
भूमि के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया है कि उक्त भूमि का स्वामित्व
शांति निकेतन कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एण्ड कंप्यूटर साइंस, तेहरा
तहसील खोरागढ जिला आगरा, जो है जिसमें श्री अभिषेक कुमार पुत्र श्री
विजय कुमार का नाम मात्र निदेशांक की हेसियत से दर्ज है। तथा उक्त
भूमि एक वर्ष से आवादी प्रयोजन में लायी जा रही है। तथा वर्तमान
में भी आवादी प्रयोग में लायी जा रही है। अतः आवादी प्रख्यापित
किए जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व प्रतिलिपि छासरा एवं,
तहसील से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया जिससे प्रकट है कि प्रार्थना-पत्र
में उल्लिखित भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रही है। तथा आवादी के
प्रयोजन में आ रही है। प्रतिलिपि छासरा ग्राम तेहरा 1407 फराली में
उल्लिखित भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है।

अतः तहसीलदार खोरागढ की संस्तुति दिनांक 22-3-2003 के
आधार पर ग्राम तेहरा का गाटा संख्या - 260 क रकवा 0-6050 हे० लगान
19-70 पौ को आवादी घोषित किया जाता है, तथा लगान मुक्त
किया जाता है। तदनुसार प्रख्यापन जारी किया जाय।

दिनांक: 5-6-2003.

कर्णक -

आवादी का नाम विजय कुमार

आवादी का निधि 5-6-03

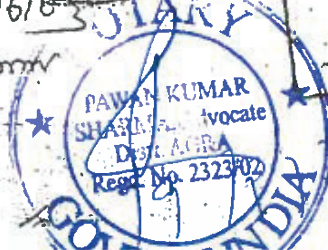
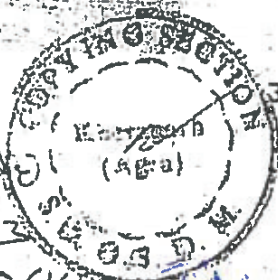
आवादी का तिथि 6/6/03

आवादी का तिथि 2003

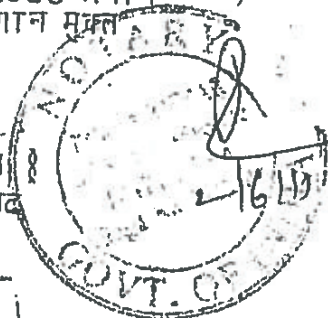
आवादी का तिथि 6/3/03

आवादी का तिथि 6/3/03

आवादी का तिथि 6/3/03



एसओ के० दीक्षांत
उपजिलाधिकारी खोरागढ
जिला आगरा।



Director

SHANTINIKETAN COLLEGE
OF BUSINESS MANAGEMENT
& COMMERCE
Affiliated to Dr. B. R. Ambedkar University, Agra
(Recognised By - U. P. State Govt.)

न्यायालय उपजिलाधिकारी खेरागढ़, जिला आगरा।

वाद संख्या २५ / ०७-०८

अभिषेक कुमार

बनाम

सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अ०

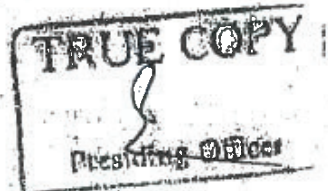
मौजा तेहरा, तहसील खेरागढ़

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अभिषेक कुमार पुत्र श्री विजय कुमार व हैसियत निदेशक शांति निकेतक कालेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर साइंस 2/363 चामनेर आगरा तहसील व जिला आगरा के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2008 पर प्रारम्भ हुयी, आवेदक का कथन है कि वह मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा के खाता संख्या 791 के गाटा संख्या 262 रकवा 0.3680 व गाटासंख्या 268 रकवा 0.9060 कुल किता 2 कुल रकवा 1.2740 हेक्टयर में 1/3 भाग रकवा रसदी 0.4246 हेक्टयर व खाता संख्या 19 के गाटा संख्या 259 ग रकवा 1.1980 हेक्टयर में पूर्ण भाग का मालिक काविज व स्वामी है। उपरोक्त भूमि कृषि प्रयोग में नहीं ली जा रही है। विद्यालय के खेल के मैदान के रूप में दो वर्षों से प्रयोग में ली जा रही हैं उक्त भूमि पर मत्स्य पालन, कुटकुट पालन व पशुपालन नहीं किया जा रहा है। अन्त में उसने आवादी घोषित कर लगान मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार खेरागढ़ से आख्या प्राप्त की गयी, तहसीलदार खेरागढ़ ने दिनांक 20.09.2008 को नियम 135(1) ज०वि० अधि० के तहत नियत प्रारूप के साथ साथ विस्तृत आख्या प्रस्तुत करते हुए उल्लिखित किया है कि ग्राम तेहरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा के गाटा संख्या 259 ग क्षेत्रफल 1.1980 हेक्टयर पूर्ण रकवा में अभिषेक कुमार पुत्र श्री विजय कुमार व हैसियत निदेशक शांति निकेतक कालेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर साइंस चला रहा है प्रार्थी की उक्त भूमि पर विगत 2 वर्ष से कृषि कार्य नहीं हो रहा है



SHANTI NIKETAN COLLEGE
OF BUSINESS MANAGEMENT
& COMPUTER SCIENCE
Affiliated To Dr. B. L. Agrawal University, Agra
(Recognised By - U. P. State Govt.)



क्षेत्रफल 1.1980 लगानी 33.93 रुपया उसकी तन्हा संकसणीय भूमिधरी आराजी है वह 2 वर्षों से आवादी के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है उक्त आराजी के संबंध में कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचारधीन नहीं है।

प्रार्थी को सुनने व पत्रावली का सम्यक परीक्षण करने के उपरान्त खाता संख्या 19 के गाटा संख्या 259ग रकवा 1.1980 लगानी 33.93 रुपया को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती है अतः आदेश दिया जाता है कि

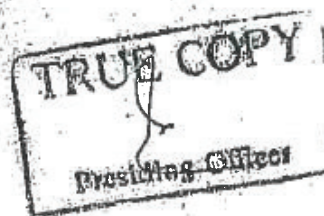
आदेश

ग्राम तेहरा तहसील खेरागढ जिला आगरा के खाता संख्या 19 के गाटा संख्या 259ग रकवा 1.1980 लगानी 33.93 रुपया को उ०प्र०ज०वि० अधि० 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत तहसीलदार खेरागढ की आख्या दिनांक 22.09.2008 के आधार पर अकृषिक घोषित कर भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार खेरागढ व उपनिबंधक खेरागढ को भेजी जाए। प्राख्यापन जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अच्छे लाल सिंह यादव)

उपजिलाधिकारी खेरागढ,

आगरा।



SHANTI NEE COLLEGE
OF BUSINESS MANAGEMENT
& COMMERCE
Affiliated To D. U. K. B. S. University, Agre
(Recognised By - U. P. State Govt.)

संमांक 13

आवेदक का नाम विजय किशोर

आवेदन की तिथि 15-10-08

प्रतिवादी की तिथि 15-10-08

आवेदन का क्रमांक 450

आवेदन का मूल्य 7000

उपनिबंधक निरीक्षण

वति दिवस के हस्ताक्षर

